न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध वाद सं0–105/18–19

मो0 गुलाम रसूल बनाम जब्बार मियां वगै0

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
09/02/23	आवेदक मो0 गुलाम रसुल, पिता–स्व0 मो0 मियां, सा0–टीकर, थाना नं0–255 के खेवट संख्या–2/3 के **खाता संख्या–3**, खेसरा संख्या–127, रकवा–57 डी0 एवं खेसरा संख्या–142, रकवा–1.10 डी0, **खाता संख्या– 13 मे** कुल प्लॉटों की संख्या–14, रकवा–1.93 एकड़ तथा **खाता संख्या– 14** प्लॉट संख्या–64, रकवा–2.26 एकड़, प्लॉट संख्या–81, रकवा–0.66 एकड़, प्लॉट संख्या–111, रकवा–3.72 एकड एवं **खाता संख्या–29**, प्लॉट संख्या–24, रकवा–1.34 एकड़ भूमि के संबंध में द्वितीय पक्ष के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने हेतु अधिवक्ता के माध्यम से वकालतनामा के साथ विविध वाद दाखिल किया गया है। तदनुसार यह वाद न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा में प्रारम्भ किया गया। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षों को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अपने–अपने पक्ष में लिखित कथन समर्पित किया गया। **प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि–**" यह कि आवेदक ग्राम–टीकर के सर्वे रैयत हुसैनी मियां, पिता–दीनी मियां के वंशज हैं। यह कि ग्राम–टीकर थाना–चतरा, थाना नं0–255 के खेवट संख्या–$\frac{2}{3}$ के खाता संख्या–3 के खेसरा संख्या–127, रकवा–57 डी0 एवं खेसरा संख्या–142, रकवा–1 एकड़ 10 डी0 सर्वे में अमीर मियां वल्द पीरू मियां वो हुसैनी मियां वल्द दीनी मियां सा0–टीकर, के नाम से दर्ज है। यह कि इसी तरह ग्राम–टीकर में ही खेवट संख्या–$\frac{2}{3}$, थाना–चतरा, थाना नं0–255 के खाता संख्या–13 के खेसरा संख्या–11, रकवा–0.20 डी0, खेसरा सख्या–13, रकवा–0.15 डी0, खेसरा सख्या–15, रकवा–0.04 डी0 खेसरा संख्या–67, रकवा–0.19 डी0, खेसरा संख्या–88, रकवा–0.26 डी0, खेसरा सख्या–104, रकवा–0.14 डी0, खेसरा संख्या–109, रकवा–0.17 डी0 एवं खेसरा संख्या–116, रकवा–0.14 डी0	

खेसरा संख्या–16, रकवा–0.10 डी0 खेसरा सख्या–36, रकवा–0.05 डी0, खेसरा सख्या–38, रकवा–0.08 डी0 खेसरा सख्या–39, रकवा–0.21 डी0 खेसरा संख्या–43, रकवा–0.11 डी0, वो खेसरा सख्या–47, रकवा–0.09 डी0, खाता संख्या–13 में कुल प्लॉट संख्या–14, कुल रकवा 1 एकड़ 93 डी0 आवेदक के दादा हुसैनी मियां के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज हैं। जबकि ग्राम–टीकर के खाता संख्या–14 खेसरा संख्य–64, 81, 111 रकवा क्रमशः 2. 26 एकड़, 0.66 एकड़, 0.80 एकड़, कुल रकवा–3.72 एकड़ जमीन सर्वे खतियान में हुसैनी मियां वल्द दीनी मियां, अमीन मियॉ वल्द मियां, अलीबक्स मियां, पिता–रजवली मियां, वो बुधन महतो वल्द परसाध महतो, साकिन–टीकर थाना–चतरा वा–हिस्सा बराबर दर्ज हैं। यह कि उक्त खाता संख्या–3, 13 के सम्पूर्ण खेसरा के सम्पूर्ण रकवा पर आवेदक के दादा हुसैनी मियां का दखल कब्जा चला आ रहा तथा खाता संख्या–14 के तीन प्लॉट कुल रकवा–3 एकड़ 72 डी0 का चौथाई हिस्सा 0.93 डी0 जमीन पर सर्वे खतियान के अनुसार शांति पूर्ण दखल कब्जा आवेदक के दादा का रहा। इस तरह ग्राम–टीकर के खाता सख्या–29 हाल खाता संख्या–29, 17 प्लॉट संख्या–24, रकवा–1 एकड़ 34 डी0 जमीन जो बजरिये हुकुमनामा से करीमन मियां पिता–स्व0 हुसैनी मियां को सन् 10.03.1932 ई को राजा रामगढ से प्राप्त हुआ था। यह कि उक्त जमीन सर्वे खयितान में रैयत हुसैनी मियां अपने जमीन काल तक जमीन को जोत कोड़ कर फसल के लायक बनाया तथा जोत आबाद कर फसल उपजाकर शांति पूर्ण ढंग से दखलकार रहें। यह कि हुसैनी मियां के मृत्यु के बाद उसका पुत्र करीमन मियां दखलकार हुए तथा खाता संख्या–3, 13, 14 एवं 29 की जमीन का जोत आबाद कर फसल उपजाकर अपने उपयोग में लाते रहे है, तथा मालगुजारी देकर जमीन्दारी रसीद प्राप्त करतें रहें, जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् करीमन मियां अपने नाम से जमाबंदी कायम कर माल निर्धारण कराया तथा मालगुजारी देकर सरकारी मालगुजारी रसीद प्राप्त करते रहें। जो पंजी–2 के पृष्ठ संख्या पर दर्ज हैं। उसी तरह खाता संख्या–29 प्लॉट संख्या–24, रकवा–1 एकड़ 34 डी0 जमीन का भी मालगुजारी देकर रसीद प्राप्त करते रहें। तथा जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् माल निर्धारण कराकर अपने नाम सरकारी रसीद प्राप्त करते रहें तथा जोत आबाद कर शांतिपूर्ण दखलकार रहें, जो पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–3 पर करीमन मियां के नाम से दर्ज हैं। यह कि आवेदक के दादा करीमन मियां के मृत्यु उपरांत आवेदक के पिता स्व0 मोहम्मद मियां एव0 जुमराती मियां दखकार हुए तथा जोत आबाद कर फसल

उपजाकर अपने मशरफ में लाते रहें, अपने पिता के मृत्यु के उपरांत आवेदक सभी जमीन पर दखलकार हुवें। यह कि आवेदक प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी उक्त जमीन में जोत कोड़ कर फसल लगाने जा रहा था तभी सभी विपक्षी उक्त भूमि पर पहुंच गये तथा आवेदक को हल जोतने से मना करने लगें। यह कि जब आवेदक एवं उनके वारिसान कारण पुछा तो विपक्षीगण उक्त जमीन को अपना कहकर विरोध करने लगें। यह कि जब आवेदक इस संबंध में राजस्व कर्मचारी एवं अंचल कार्यालय, चतरा से जॉच पड़ताल किया तो पाया कि उक्त प्रश्नगत भूमि जिसका खेवट संख्या–2/3, खाता संख्या–3, खेसरा संख्या–124 एवं 142, रकवा–1 एकड 67 डी0 का आधा भाग का रसीद सुलेमान मियां पिता अलीबक्स मियां तथा आधा $83\frac{1}{2}$ डी0 जमीन का आवेदकगण जोत रहे हैं तथा रसीद कटवा रहें है। उसी तरह खाता संख्या–13 की जमीन जिसका रकवा–1 एकड़ 93 डी0 है, उसमें 96 डी0 जमीन का रसीद आवेदक के नाम से हैं तथा शेष पर विपक्षी रसीद कटवा रहें है। खाता संख्या–14, रकवा–3 एकड़ 72 डी0 आवेदक मात्र 8 डी0 जमीन जोत रहा हैं, जबकि विपक्षीगण 93 डी0 का सारी रसीद गलत तरीके से कटवा लिया हैं जबकि आवेदक $\frac{1}{4}$ हिस्सा 93 डी0 होता हैं। उक्त जमीन का मालगुजारी रसीद अवैध तरीके से राजस्व कर्मचारी एवं अंचल कार्यालय के मिली भगत से विपक्षीगण कटवा लिया हैं तथा गलत तरीके से बाहुबल के आधार पर उक्त जमीन को कब्जा करने के पक्ष में है। यह कि आवेदक इस संबंध में अंचल कार्यालय में जाकर अंचल अधिकारी, चतरा के समक्ष अपने सम्पूर्ण जमीन का अपने हिस्से की जमीन का रसीद कटाने के लिए आवेदन दिया, परंत उसपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया, इस संबंध में आवेदक श्रीमान् उपायुक्त के समक्ष भी आवेदन किया परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी। यह कि इस संबंध में आवेदक अंचल कार्यालय चतरा में सम्पूर्ण भूमि का मालगुजारी रसीद कटाने का आग्रह किया, इस संबंध में एक आवेदन भी दिया जिसे अंचल अधिकारी ने राजस्व कर्मचारी से जॉच रिपोर्ट की मांग की जो लंबे समय बीत जाने के बाद भी आज तक उपलब्ध नहीं हो पाया है तथा विपक्षीगण के विरूद्ध कोई उचित कार्रवाई भी नही की गई है। यह कि विपक्षीगण के पास उक्त जमीन का कोई मान्य दस्तावेज नहीं हैं। यह कि आवेदक सर्वे रैयत हुसैनी मियां का पौत्र हैं तथा हुसैनी मियां के हिस्से का एकमात्र वारिस हैं। यह कि विपक्षीगण खेवट 2/3 के खाता संख्या–14 के सर्वे रैयत सोमरन जोलहा पिता रजवली मियां के वंशज है जो

खाता संख्या–14 के कुल रकवा–3.72 डी0 जमीन को सोमरन जोलहा के 93 डी0 जमीन मात्र हकदार है। यह कि इस संबंध में ग्राम–टीकर में बाला पंचायत भी हुई परंतु विपक्षीगण उस पंचायत को मानने से इन्कार कर दिया। अतः निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के संदर्भ में आवेदक का न्यायालय से प्रार्थना है कि आवेदक का विविध आवेदन स्वीकार किया जाए एवं विपक्षी के नाम चल रहे जमाबंदी को रद्द करने एवं आवेदक के पक्ष में संम्पूर्ण जमीन का मालगुजारी रसीद निर्गत करने हेतु अंचल अधिकारी, चतरा को आदेश देने की कृपा की जाय।''

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि–''यह कि आवेदक द्वारा दाखिल श्रीमान् के न्यायालय में लंबित उपरोक्त वाद निराधार, तथ्यहीन तथा विधि सम्मत नहीं हैं, इस कारणस चलने लायक नहीं है, अतः इसे जुर्माना के साथ दाखिल किया जा सकती हैं। यह कि आवेदक के द्वारा और उनके आवेदन में जो वंशावली दर्शायी गयी हैं वह बिल्कुल गलत हैं। जुमराती मियां उर्फ जीतन मियां का कोई बाल बच्चा नहीं होने के कारण विपक्षी सहादत मियां की मां एवं अन्य विपक्षीगण की दादी दर्शनी बीबी से निकाह किया था और दर्शनी बीबी से उत्पन्न सभी संतान को अपनी समस्त चल अचल संम्पति में भागीदार बनाये थें, विपक्षीगण की सही वंशावली लिखित बहस के अंत में अनुसूचि का के अंतर्गत दी गई हैं। यह कि निकाह के बाद हुसैनी मियां के पुत्र जीतन मियां उर्फ जुमराती मियां अपनी पत्नी दर्शानी बीबी को देन मोहर के अंतर्गत 21.08.1961 को 96.5 डी0 जमीन केवाला किए थे जो केवाला संख्या–1227 वर्ष 1961 हैं। उक्त केवाला का छायाप्रति इस लिखित बहस के साथ दाखिल कि जा रही हैं। यह कि हुसैनी मियां के तीन पुत्र थें, जिसमें करिमन मियां नावल्द मर गए उनकी संम्पति बचे हुए दो पुत्रों जीतन मियां उर्फ जुमराती मियां जो विपक्षीगण के पिता एवं दादा हैं उन्हें आधा सम्पति प्राप्त हुआ तथा आधा सम्पति आवेदक के पिता मोहम्मद मियां को प्राप्त हुआ। यह कि विपक्षीगण को 96.5 डी0 के अतिरिक्त 78 डी0 जमीन मौजा–कोलटिकर के खाता संख्या–29/39 प्लॉट संख्या–24 के अंतर्गत 78 डी0 जमीन अंचल अधिकारी चतरा द्वारा बंटवारा के अंतर्गत दिया गया उक्त बंटवारा शुद्धिपत्र दाखिल खारिज नामांतरण की छायाप्रति श्रीमान् के न्यायालय में इस लिखित जवाब के साथ दाखिल की जा रहीं हैं। यह कि आवेदक को 56 डी0 जमीन बंटवारा के अंतर्गत प्राप्त हुआ मौजा कोलटिकर में दिया गया तथा शेष 22 डी0 जमीन आवेदक को बंटवारा के अंतर्गत मौजा

बजराही जहां आवेदक का घर–मकान स्थित है वहा दिया गया जिसका उल्लेख आवेदक अपने इस लंबित वाद मे नही किया है। यह कि हुसैनी मिया के आधा सम्पति पर न्यायासगत तरीके से जीतन मिया उर्फ जुमराती मिया के वंशज जो इस वाद मे विपक्षीगण है वो काबिज दखलकार चले आ रहे है तथा सरकारी रसीद भी निर्गत कराते आ रहे है, जिसकी छायाप्रति इस लिखित जवाब के साथ श्रीमान के न्यायालय मे दाखिल कि जा रही है। यह कि हुसैनी मिया के पौत्र जो इस वाद के आवेदक है वे भी काबिज दखलकार होकर आधो सम्पति पर जोत कोड करते आ रहे है। यह कि आवेदक के पिता न्यायालय मुंसिफ चतरा मे भी इसी जमीन को लेकर स्वत्व वाद दाखिल किए थे जो स्वत्व वाद संख्या–13/1977 था वह वाद भी विपक्षीगण के पक्ष मे निर्णय देते हुए खारिज कर दी गई थी, इसके बाद अपर जिला न्यायाधीश, हजारीबाग के न्यायालय में स्वत्व अपील दाखिल की गई थी वह अपील भी विद्वान न्यायालय द्वारा इस वाद के विपक्षीगण के पक्ष मे निर्णय देते हुए खारीज की गई थी। उक्त टाईटल अपील संख्या–3/81 की निर्णय की सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति श्रीमान् के न्यायालय में इस लिखित जवाब के साथ दाखिल कि जा रही हैं। यह कि अंचल अधिकारी चतरा द्वारा जो रिपोर्ट श्रीमान् के न्यायालय में समर्पित कि गई हैं उसमें दोनो पक्षकारो को जमाबंदी लिखाया गया है एवं विपक्षीगण को पिता का नाम जीतन मियां भी दर्शाया गया है, इस कारण भी आवेदक के इस लम्बित वाद को न्याय के हित में खारिज करने योग्य है। यह कि आवेदक का यह कहना कि विपक्षीगण मालगुजारी रसीद अवैध तरीके से कटवा लिए हैं, बिल्कुल गलत हैं। न्यायसंगत तरीके से केबाला एवं बंटवारा के आधार पर विपक्षीगण जोत कोड़ दखल में रहते हुए मालगुजारी रसीद निर्गत कराते आ रहे हैं एवं हुसैनी मियां के आधे हिस्से पर जुमराती मियां उर्फ जीतन मियां का आधा हिस्सा हैं उसपर उनके जीवन काल से ही जोत कोड़ करते आ रहे हैं एवं दखल कब्जा में रहते हुए घर मकान बनाकर कुआं वगैरह का निर्माण कराकर रहते चले आ रहे हैं। यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में आवेदक के द्वारा दाखिल यह लम्बित वाद जुर्माना के साथ खारिज करने योग्य हैं। अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि विपक्षीगण के इस लिखित बहस को स्वीकार कर विपक्षीगण कर विपक्षीगण के पक्ष में उचित आदेश पारित करने की कृपा प्रदान की जाय।

अचंल अधिकारी, चतरा का पत्रांक–1175 दिनांक–01.12.2022 द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जॉच प्रतिवेदन में

उल्लेखित किया है कि–"आवेदक मो0 गुलाम रसुल, पिता–स्व0 मोहम्मद मियां ग्राम–कोलटिकर ने आवेदन दिया है कि मौजा टिकर थाना संख्या–255 में खाता संख्या–3 खेसरा संख्या–127, रकवा–0.57 डी0 खेसरा संख्या–142 रकवा–1 एकड 10 डी0 सर्वे में अमीर मियां पिता पीरू मियां वो हुसैनी पिता दोनो पिता दीनो मियां सा0 टिकर के नाम से दर्ज है। खाता संख्या–13 के खेसरा संख्या–11, रकवा–0.20 डी0, खेसरा संख्या–13, रकवा–0.15 डी0, खेसरा संख्या–15, रकवा–0.04 डी0 खेसरा संख्या–67, रकवा–0.19 डी0, खेसरा संख्या–88, रकवा–0.26 डी0, खेसरा संख्या–104, रकवा–0.14 डी0, खेसरा संख्या–109, रकवा–0.17 डी0 एवं खेसरा संख्या–116, रकवा–0.14 डी0 खेसरा संख्या–16, रकवा–0.10 डी0 खेसरा संख्या–36, रकवा–0.05 डी0, खेसरा संख्या–38, रकवा–0.08 डी0 खेसरा संख्या–39, रकवा–0.21 डी0 खेसरा संख्या–43, रकवा–0.11 डी0, वो खेसरा संख्या–47, रकवा–0.09 डी0, खाता संख्या–13 में कुल प्लॉट संख्या–14, कुल रकवा 1 एकड़ 93 डी0 आवेदक का दादा हुसैनी मियां के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है। खाता संख्या–14 खेसरा संख्य–64, 81, 111 रकवा क्रमशः 2.25 एकड, 0.66 एकड, 0.80 एकड़, कुल रकवा–3.72 एकड़ जमीन हुसैनी मियां पिता दीनो मियां, अमीन मियां, पिता पीरू मियां, अलिबक्स मियां पिता रजबली मियां, वो बुधन महतो पिता परसाद महतो सा0 टिकर वा हिस्सा बराबर दर्ज है। खाता संख्या–3 एवं 13 के सम्पूर्ण रकवा आवेदक के दादा हुसैनी मियां का दखल कब्जा रहा है। खाता संख्या–144 का एक चौथाई भाग 93 डी0 पर आवेदक का दादा का दखल कब्जा है। खाता संख्या–29, प्लॉट संख्या–24 रकवा–1 एकड़ 34 डी0 हुकुमनामा द्वारा राजा रामगढ़ से प्राप्त कर आवेदक का दादा हुसैनी मियां जोत कोड़ कर आवाद कर एवं फलस उपजाकर अपने उपयोग में लाते रहे तथा मालगुजारी रसीद प्राप्त करते रहे। पूर्व की भांति आवेदक जोत कोड़कर फसल लगाने जा रहा था कि विपक्षीगण जोतने से मना करने लगा। आवेदक द्वारा दिया गया आवेदन पत्र के आलोक में हल्का कार्यालय में उपलब्ध राजस्व कागजातों के अवलोकन के क्रम में पाया कि आवेदक द्वारा दिया गया आवेदन का संबंध मौजा कोलटिकर थाना संख्या–255 की भूमि से है। आवेदक द्वारा दिया गया आवेदन पत्र में भूमि का विवरण सर्वे खतियान के अनुसार निम्नलिखित प्रकार है:–

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा एकड़ में	सर्वे खतियान रैयत का नाम
3	127	0.57	अमीर मियां वल्द पीरू

	142	1.10	मियां हुसैनी मियां वल्द दीनो मियां सा0 देह
		1.67 एकड़	
13	11	0.20	हुसैनी मियां पिता दीनो मियां
	13	0.15	
	15	0.04	
	16	0.10	
	36	0.05	
	38	0.08	
	39	0.21	
	43	0.11	
	47	0.09	
	67	0.19	
	86	0.36	
	104	0.14	
	109	0.17	
	116	0.04	
	कुलः–	**1.93 एकड़**	
14	67	2.26	हुसैनी मियां पिता दीनो मियां वो अमीर मियां पिता पीरू मियां वो सोमरा जोलहा वो अलिबक्स पिता रजबली मियां सा0–टिकर, टोला बजराही वो बुधन महतो पिता परसाद महतो सा0 टिकर
	81	0.66	
	111	0.80	
	कुलः–	**3.72 एकड़**	
29	24	12.75	गैर0 खा0 जंगल झाड़ी तथा प्रतिबंधित भूमि के अंतर्गत दर्ज।

आवेदक द्वारा आवेदित भूमि की जमाबंदी ऑनलाईन पंजी–2 की विभिन्न पृष्ठो पर निम्नलिखित प्रकार कायम है:–

क्र0	**खाता संख्या**	**प्लॉट संख्या**	**रकवा एकड़ में**	**जमाबंदी रैतय का नाम एवं**	**पंजी–II की पृ0सं0**

				पिता / पति	
1	13	0	0	करिम बक्श मियां वगैरह पिता हुसैनी मियां	2 / I
2	13	0	1 एकड़ 28.66 डी0	महम्मद मियां पिता हुसैनी मियां	4 / I
3	13	0	1 एकड़ 28.6 डी0	महम्मद मियां पिता हुसैनी मियां दमड़ी मियां पिता पुनू मियां	3 / II
4	13	11	6.66 डी0	प्रयाग महतो, पिता धनु महतो	49 / II
	13	13	5 डी0		
	13	15	1.33 डी0		
	13	16	3.33 डी0		
	13	36	1.66 डी0		
	13	38	2.66 डी0		
	13	39	7 डी0		
	13	43	3.66 डी0		
	13	47	3 डी0		
	13	67	6.33 डी0		
	13	88	8.66 डी0		
	13	104	4.66 डी0		
	13	109	5.66 डी0		
	13	116	4.66 डी0		
	14	64	18.83 डी0		
	14	81	5.5 डी0		
	14	11	6.66 डी0		
			95.26 डी0		
5	13	0	96.5 डी0	मोहमद रसुल मियां पिता मोहम्मद मियां	70 / II

6	13	0	96.5 डी0	कबीर मियां इमामन मियां अब्दुल सहादत मियां	69 / II
7	29	0	78 डी0	कबीर मिया अब्दुल मियां	67 / II
8	29	0	56 डी0	मोहम्मद रसुल पिता मोहम्मद मियां	68 / II

इस प्रकार प्रथम दृष्टया भूमि विवादित प्रतीत होता है जो सक्षम न्यायालय का मामला बनता है। **खाता संख्या–29, रकवा–0.78 एकड़, 0.56 एकड़ क्रमशः पंजी–2 की पृ0 सं0 67/1, 68/2 पर कायम जमाबंदी संदेहात्मक प्रतीत होता है।''**

उपरोक्त तथ्यों, उभय पक्षों के द्वारा समर्पित लिखित कथन एवं अंचल अधिकारी, चतरा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा अभिलेख में उपलब्ध अन्य कागजातों के आधार पर निम्नांकित बिन्दु परिलक्षित होते है :–

1. रैयती भूमि का मामला
2. गैरमजरूआ खास जंगल–झाड़ी भूमि का मामला
3. प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के दावा के अतिरिक्त अन्य रैयत के नाम से भी जमाबंदी कायम होने का मामला।

1) <u>रैयती भूमि का मामला</u> :– अंचल अधिकारी, चतरा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में अंकित है कि–'' मौजा टिकर थाना संख्या–255 में **खाता संख्या–3** खेसरा संख्या–127, रकवा–0.57 डी0 खेसरा संख्या–142 **रकवा–1 एकड़ 10 डी0 सर्वे में अमीर मियां पिता पीरू मियां वो हुसैनी पिता दोनो पिता दीनो मियां** सा0 टिकर के नाम से दर्ज है। **खाता संख्या–13** के खेसरा संख्या–11, रकवा–0.20 डी0, खेसरा सख्या–13, रकवा–0.15 डी0, खेसरा सख्या–15, रकवा–0.04 डी0 खेसरा संख्या–67, रकवा–0.19 डी0, खेसरा संख्या–88, रकवा–0.26 डी0, खेसरा सख्या–104, रकवा–0.14 डी0, खेसरा संख्या–109, रकवा–0.17 डी0 एवं खेसरा संख्या–116, रकवा–0.14 डी0 खेसरा संख्या–16, रकवा–0.10 डी0 खेसरा सख्या–36, रकवा–0.05 डी0, खेसरा सख्या–38, रकवा–0.08 डी0 खेसरा सख्या–39, रकवा–0.21 डी0 खेसरा संख्या–43, रकवा–0.11 डी0, वो खेसरा सख्या–47, रकवा–0.09

डी0, खाता संख्या–13 में कुल प्लॉट संख्या–14, कुल रकवा 1 एकड़ 93 डी0 **आवेदक का दादा हुसैनी मियां के नाम से सर्वे खतियान में** दर्ज है। **खाता संख्या–14** खेसरा संख्य–64, 81, 111 रकवा क्रमशः 2.25 एकड़, 0.66 एकड़, 0.80 एकड़, कुल **रकवा–3.72 एकड़ जमीन हुसैनी मियां पिता दीनो मियां, अमीन मियां, पिता पीरू मियां, अलिबक्स मियां पिता रजबली मियां, वो बुधन महतो पिता परसाद महतो सा0 टिकर वा हिस्सा बराबर दर्ज है।"**

2) गैरमजरूआ खास जंगल–झाड़ी भूमि का मामला :– अंचल अधिकारी, चतरा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में अंकित है कि–" खाता संख्या–29, प्लॉट संख्या–24, रकवा–12.75 गैर0 खा0 जंगल झाडी तथा प्रतिबंधित भूमि के अंतर्गत दर्ज है।" **साथ ही साथ** प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपने लिखित कथन में उल्लेखित किया है कि–"खाता संख्या–29, प्लॉट संख्या–24 रकवा–1 एकड़ 34 डी0 **हुकुमनामा** द्वारा राजा रामगढ़ से प्राप्त कर आवेदक का दादा हुसैनी मियां जोत कोड़ कर आवाद कर एवं फलस उपजाकर अपने उपयोग में लाते रहे तथा मालगुजारी रसीद प्राप्त करते रहे।"

3) प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के दावा के अतिरिक्त अन्य रैयत के नाम से भी जमाबंदी कायम होने का मामला :–अंचल अधिकारी, चतरा से प्राप्त उपरोक्त जांच प्रतिवेदन में अंकित है कि–"खाता संख्या–13 में कुल प्लॉट संख्या–14, कुल रकवा 1 एकड़ 93 डी0 आवेदक का दादा हुसैनी मियां के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है। खाता संख्या–14 खेसरा संख्य–64, 81, 111 रकवा क्रमशः 2.25 एकड़, 0.66 एकड़, 0.80 एकड़, कुल रकवा–3.72 एकड़ जमीन हुसैनी मियां पिता दीनो मियां, अमीन मियां, पिता पीरू मियां, अलिबक्स मियां पिता रजबली मियां, वो बुधन महतो पिता परसाद महतो सा0 टिकर वा हिस्सा बराबर दर्ज है।" **परन्तु उक्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार ही दोनों** खाता संख्या–13 एवं 14 के अन्तर्गत पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–49/II पर प्रयाग महतो, पिता–धनु महतो के नाम से जमाबंदी कायम है।

विक्रय पत्र/पट्टा/हुकुमनामा से संबंधित जमीन के लिए उत्पन्न हो रही समस्याओं के निराकरण एवं सरलीकरण हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, राँची से दिशा–निर्देश प्राप्त है। सरकार के सचिव का पत्रांक–06 भूमि का नियमितीकरण–89/2020 1704/रा0, दिनांक–15.07.2020 के पारा 9 के कंडिका (II) एवं (VII) में स्पष्ट निदेश दिया गया है।

पत्रांक–06 भूमि का नियमितीकरण–89/2020 1704/रा0, दिनांक–15.07.2020 पारा 9 के कंडिका (II) के अनुसार–"विभागीय पत्रांक–2861, दिनांक–08.06.2017 द्वारा दिनांक–01.01.1946 के पूर्व निबंधित (विक्रय पत्र/पट्टा/हुकुमनामा) के आधार पर पंजी–II में संधारित गैरमजरूआ भूमि से संबंधित जमाबंदियों में ऑनलाईन दाखिल–खारिज एवं ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने की कार्रवाई अंतिम रूप से संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा की जायेगी। अंचल अधिकारी अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी हेतु चिन्हित भूमि का रद्द करने हेतु खोले गये अभिलेख में ही सभी अपेक्षित दस्तावेजों के सत्यापन एवं भौतिक सत्यापन के पश्चात् पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत आदेश पारित करेंगे एवं तदनुरूप ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करेंगे। इस निदेश के बाद अभिलेख को भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता/अनुमण्डल पदाधिकारी को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। इस हद तक विभागीय पत्रांक–2861, दिनांक–08.06.2017 को संशोधित समझा जाय। इस कार्रवाई में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी इसके लिए पूर्णतः दोषी होंगे।"

पत्रांक–06 भूमि का नियमितीकरण–89/2020 1704/रा0, दिनांक–15.07.2020 के पारा 9 के कंडिका (vii) में अंकित है कि– "खतियान में जंगल, जंगल–झाड़ी इंद्राज के मामलों में T.N Godavarman Thirmulpad Vs Union of India 1995 " में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–8–78/1996–FC (pt) dated- 10th March, 2015 के आलोक में इस प्रकार की जमाबंदियों की समीक्षा की जाय एवं तदोपरांत बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4 (h) के अंतर्गत जमाबंदी रद्द करने हेतु प्रारंभ की गई कार्यवाही से संबंधित अभिलेख में संतुष्ट होकर आदेश पारित किया जाय।"

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इस वाद में विधिसम्मत्/न्याय संगत सुनवाई करते हुए अंचल अधिकारी को ही अग्रेतर कार्रवाई करना है। अंचल अधिकारी, चतरा को आदेश दिया जाता है कि संबंधित पक्षों को सुनवाई हेतु पूर्ण अवसर देते हुए, भूमि से संबंधित कागजातों जैसे (खतियान, रजिस्टर II एवं अन्य कागजातों आदि) का पुनः विस्तृत अवलोकन करते हुए तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा भिन्न–भिन्न समय पर जारी संकल्पों एवं पत्रों का भी अवलोकन करते हुए भूमि के अलग–अलग

किस्म के अनुसार नियमसंगत/विधिसम्मत अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

अतः अंचल अधिकारी, चतरा को अग्रेतर कार्रवाई हेतु आदेश की प्रति भेजें।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

09/02/23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

09/02/23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

Digitally signed by GOURANG MAHATO
Date: 2023.08.24 22:32:38 -07:00
Location: 2409:40e4:6e:dc94:a228:730f:89ad:22f

12 Misc